गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सचिव
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
5.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
9.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 व्ही.एस. राठौर

02 प्रो0 पी.के. बाजपेयी

03 प्रो0 ए.एस. रणदिवे

04 प्रो0 एल.पी. पटैरिया

05 प्रो0 एम.के. सिंह

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 सातवें सेमेस्टर के ATKT परीक्षा के पुनः पुनर्मूल्यांकन के संबंध में।

प्रस्तुत प्रकरण पर गहन विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विद्यमान परिस्थितियों में प्रथम पुनरीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपास्त एवं अमान्य करते हुए अधिष्ठाता अध्ययनशाला–विधि के द्वारा नवीन समिति गठित कर इसमें विशेषज्ञ के रूप में किसी बाह्य विशेषज्ञ को, जो अधिष्ठाता अध्ययनशाला–विधि के द्वारा अनुशंसित हो, रखा जाये।

बाह्य विशेषज्ञ, अधिष्ठाता अध्ययनशाला–विधि एवं विभागाध्यक्ष विधि के पर्यवेक्षण में इस विशिष्ट पुनरीक्षण के कार्य को सम्पन्न करेंगे तथा यह अंतिम पुनरीक्षण होगा तथा इसे

संबंधित छात्र के द्वारा मान्य किया जाना बंधनकारी होगा। संबंधित छात्र से इस आशय का एक वचन पत्र प्राप्त किया जाये तथा संबंधित उत्तरपुस्तिकायें अंतिम पुनरीक्षण हेतु अधिष्ठाता अध्ययनशाला–विधि एवं विभागाध्यक्ष–विधि को इस हेतु हस्तगत किया जाये।

उक्त कार्यवाही एक विशेष परिस्थिति के निराकरण हेतु केवल एक बार सम्पन्न की जाये तथा इसे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का दृष्टांत नहीं समझा जायेगा।

विषय क्र. 03 **भारत गणराज्य के साथ अन्य देशों के गणराज्य की सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन के संबंध में।**

स्थायी समिति ने कार्यसूची के परिशिष्ट–3 का अवलोकन किया तथा विचारोपरान्त सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया कि विकास शाखा इन परिशिष्टों का गहन अध्ययन कर समझौता ज्ञापनों के विभिन्न बिन्दुओं के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय के शैक्षिक हित एवं अकादमिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों से शैक्षिक आदान–प्रदान एवं समझौतों के सम्भावित बिन्दुओं को चिन्हित कर विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं से प्रस्ताव आमंत्रित एवं परीक्षण कर प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01. **छात्र श्री गणेश कुमार कोशले, कोसमंदा (चाम्पा) के आवेदन/अभ्यावेदन दिनांक 01.05. 2019, 07.05.2019, 14.05.2019 पर विचार।**

विभागाध्यक्ष इतिहास के टीप पत्र दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से उक्त आवेदन/ अभ्यावेदन स्थायी समिति के संज्ञान में लाये गये। स्थायी समिति के द्वारा छात्र के प्रस्तुत समस्त आवेदनों/अभ्यावेदनों तथा विभागाध्यक्ष इतिहास के द्वारा प्रेषित टीप पत्र दिनांक 15.05.2019 पर गहन विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया कि छात्र के इस प्रकरण को पुनः विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा यदि छात्र विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण है तथा शोध उपाधि पंजीयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता है, तो इस छात्र के शोध पंजीयन के प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शोध विनियम के अंतर्गत पुर्नविचार करते हुए छात्र के शोध उपाधि में प्रवेश हेतु समुचित निर्णय लिया जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव
29/05/19

कुलपति/अध्यक्ष